कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा / मा / लेखा / डी–2 / 28001 / 17–18 / दिनांकः 02.07.18

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
माध्यमिक शिक्षा

समस्त उप निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा

विषयः– अनुपयोगी / नाकारा स्टोर्स निस्तारण अभियान अवधि 30.06.18 के स्थान पर 30.09.18 तक करने के सम्बन्ध में

प्रसंगः– प.6 (1) वित्त / साविलेनि / 2005 पार्ट–I जयपुर दिनांक 21.06.18

––

इस कार्यालय के पत्रांक शिविरा / माध्य / लेखा / डी–2 / 28001 / 18–19 दिनांक 27.04.18 के द्वारा राज्य सरकार के परिपत्र प.6 (1) वित्त / साविलेनि / 2005 पार्ट–I जयपुर दिनांक 02.04.18 के द्वारा जारी निर्देशों के संदर्भ में इस विभाग के अधीनस्थ समस्त कार्यालयों राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों एवं माध्यमिक विद्यालयो में अनुपयोगी / नकारा सामान के निस्तारण का अभियान दिनांक 30.06.18 तक चलाकर अनुपयोगी / नकारा सामान वाहन आदि निस्तारण करने के निर्देश दिये गये थे । वित्त विभाग के परिपत्र प.6 (1) वित्त / साविलेनि / 2005 पार्ट–I जयपुर दिनांक 21.06.18 के द्वारा इस अभियान की अवधि दिनांक 30.06.18 के स्थान पर 30.09.18 तक बढा दी गई है । इस सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्रांक शिविरा / माध्य / लेखा / डी–2 / 28001 / 18–19 दिनांक 11.05.18 द्वारा मण्डल / जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्तर में नीलामी कार्यवाही की प्रभावी मोनिटरिंग करने हेतु उप निदेशक / जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कार्यरत लेखाधिकारी व सहायक लेखाधिकारी–I व II को इस अभियान के दौरान नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है । मण्डल एवं जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थापित वरिष्ठ लेखाकर्मी (लेखाधिकारी / सहायक लेखाधिकारी I,II अपने अधीनस्थ कार्यालयों राउमावि / माध्यमिक विद्यालयों में नीलामी कार्यवाही की मोनिटरिंग कर मण्डल / जिले की समेकित रिपोर्ट इस कार्यालय को निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 15.05.18, 31.05.18 एवं 15.06.18 एवं 30.06.18 को भिजवाने के निर्देश दिये गये थे लेकिन अधिकांश जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा अनुपयोगी सामान के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रगति रिपोर्ट से इस कार्यालय को अवगत नहीं कराया गया है । अतः समस्त उप निदेशक / जिला शिक्षा अधिकारी समय–समय पर दिनांक 15.07.18, 31.07.18, 16.8.18 15.09.18 को अनुपयोगी सामान की नीलामी की समेकित रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक रूप से भिजवाने की कार्यवाही करेंगे । समस्त उप निदेशक / जिला शिक्षा अधिकारियों को अपने अधीनस्थ क्षेत्र के समस्त कार्यालयों / विद्यालयों में समस्त अनुपयोगी सामान निस्तारण करने की कार्यवाही अभियान

अवधि की निर्धारित दिनांक 30.09.18 तक शत प्रतिशत अनुपयोगी /नकारा सामान के निस्तारण की कार्यवाही सुनिश्चित कर मण्डल/जिले का समेकित प्रमाण पत्र इस कार्यालय को समेकित प्रमाण पत्र इस कार्यालय को दिनांक 10.10.18 तक भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे । नीलामी कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट इस कार्यालय द्वारा पूर्व (मण्डल/जिले में कहीं भी अनुपयोगी सामान निस्तारण करने से शेष नहीं रहा है) में भेजे गये निर्धारित निम्न प्रपत्र में भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे ।

अतः अभियान अवधि की निर्धारित दिनांक तक शत–प्रतिशत अनुपयोगी सामान के निस्तारण की कार्यवाही सुनिश्चित कर इस कार्यालय को पालना रिपोर्ट से अवगत करावें ।

प्रारूप

क्र. सं.	कार्यालय/विद्यालय का नाम	सामान का पुस्तक मूल्य	नीलामी से प्राप्त आय	जी.एस.टी.	नीलामी से प्राप्त कुल आय	चालान नं./ दिनांक
1	2	3	4	5	6	

वित्तीय सलाहकार,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांकःशिविरा/माध्य/लेखा/डी–2/28001/18–19 दिनांकः 02.07.18

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. उप निदेशक प्रशासन, माध्यमिक शिक्षा, कार्यालय हाजा ।
2. उप निदेशक, समाज शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
3. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान, बीकानेर/अजमेर
4. प्रधानाचार्य सादुल स्पोर्टस स्कूल, बीकानेर
5. सिस्टम एनालिस्ट कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।

वित्तीय सलाहकार,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर